

संचिका सं०- E 2-2-62/2019-(खण्ड-II)- 594

पटना, दिनांक 02-02-2024 ई०।

निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय परिसर एवं उसमें अवस्थित नये एवं पुराने भवन के कक्षों की वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रतिदिन साफ-सफाई हेतु इच्छुक सेवादाता प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को साफ-सफाई में उपयोग होने वाली वस्तुओं/सामग्रियों यथा फिनाईल, सेनेटाईजर, दुर्गंधनाशक टिकिया (ओडोनील आदि), झाड़ू, लिक्विड सोप, हार्पिक, डिटर्जेंट पाउडर, नैफथलीन बॉल, वाइपर, ब्रश, मच्छड़/कीट नाशक स्प्रे, कपड़ा/झाड़न, मजदूरी आदि पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा। प्रतिदिन सफाई कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्यौरा/साफ-सफाई हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों की सूची एवं साफ-सफाई के निमित्त शर्तें विभागीय वेबसाईट www.ceobihar.nic.in पर देखी तथा डाउनलोड की जा सकती हैं।

- निविदा के साथ केन्द्र सरकार/बिहार सरकार के अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों की साफ-सफाई का कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर निविदादाता फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
- निविदादाता प्रतिमाह आने वाले सभी खर्चों सहित, मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय का अलग-अलग उल्लेख करते हुए, अपनी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में (दोनों लिफाफों पर अलग-अलग तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करते हुए) श्री सुबोध कुमार सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में अवस्थित बक्सों में दिनांक 28/2/24 के अपराह्न 1 बजे तक डाले जा सकते हैं। तकनीकी निविदाएं उसी दिन अपराह्न 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी तथा तकनीकी निविदा में सफल फर्मों की वित्तीय निविदा निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उसी दिन खोली जायेगी।
- निविदादाताओं को निविदा कागजात के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पदनाम से किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गत स्वीकार योग्य फार्म में ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। असफल निविदादाता की प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) उन्हें निविदा की समाप्ति के बाद शीघ्रातिशीघ्र एवं करार प्रदान करने के बाद अधिकतम 30 दिन के पहले वापस कर दी जायेगी।
- निविदादाता द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2988/वि० दिनांक 23.03.2023, एव विभिन्न श्रम अधिनियमों के संगत उपबंधों का अनुपालन करना तथा श्रम संसाधन विभाग एवं वस्तु एवं सेवाकर (GST) हेतु संबंधित विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (पैन कार्ड सहित) भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा पर GST पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाना है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
- विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा तत्समय निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर पर एक वर्ष की अवधि के लिये विस्तारित भी की जा सकेगी।
- मुहरबंद निविदा लिफाफे के ऊपर साफ-साफ बड़े पठनीय अक्षरों में "मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना-800015 में सफाई कार्य हेतु निविदा" अंकित किया जाना चाहिए।
- किसी परिस्थिति विशेष में बिना कारण बताये निविदा रद्द की जा सकती है।
- निविदा की आवश्यक शर्तों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट www.ceobihar.nic.in पर देखा जा सकता है एवं तदनु रूप चयनित फर्म को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

(मिथिलेश कुमार साहू)

विशेष सचिव-सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी